

प्रेस नोट थाना बांसगांव दिनांक 08-05-2021

थाना क्षेत्र बाँसगाँव अन्तर्गत बच्चे की हत्या के वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण(दक्षिणी) के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी बाँसगाँव के निकट मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराहियान मय टीम के मु0अ0सं0 105/2021 धारा 363/302/2021 से सम्बन्धित मृतक आलोक विश्वकर्मा की हत्या का अनावरण करते हुए घटना मे शामिल सभी चार अभियुक्तो 1.लवेश कहार पुत्र स्व0 नेबूलाल उम्र 34 वर्ष 2.गौरीशंकर गौड़ पुत्र स्व0 नेबूलाल उम्र 40 वर्ष 3.विपिन गौड़ पुत्र गौरीशंकर गौड़ उम्र 19 वर्ष 4.सीमा देवी पत्नी गौरीशंकर उम्र 38 वर्ष निवासीगण विशुनपुर थाना बाँसगाँव जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया है। तथा घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल रायल स्टैग अंग्रेजी शराब के बोतल का रक्त रंजीत टुकड़े, एक अदद प्लास्टिक की बोरी एक पोटली मे जले हुए कपड़े की राख बरामद कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना बाँसगाँव क्षेत्र ग्राम विशुनपुर निवासी शिवकुमार विश्वकर्मा पुत्र मानिक चन्द्र विश्वकर्मा द्वारा अपने भतीजे आलोक विश्वकर्मा पुत्र बम्हानन्द विश्वकर्मा उम्र करीब 8 वर्ष के गुम हो जाने के सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 105/2021 धारा 363 भादवि0 पंजीकृत होकर गुमशुदा की तलाश की जा रही थी। कि दिनांक 06.05.2021 को सूचना मिली कि आलोक का शव गाँव की झाड़ी में हत्या कर पड़ा मिला है जिसके गले पर खून लगा चोट का निशान है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुचकर डाग स्क्वायड व फिल्ड यूनिट टीम बुलाकर घटना के अनावरण का प्रयास किया गया। घटना स्थल पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मौके पर पहुचकर मौका मुवायना कर घटना के शीघ्र अनावरण के लिए महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर मार्गदर्शन व निर्देश दिया गया। इसी निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में थाना स्थानीय से तीन टीमे लगायी गयी थी। जिसके क्रम में आज दिनांक 08.05.2021 को प्रभारी निरीक्षक बाँसगाँव मय टीम के द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त 1.लवेश कहार पुत्र स्व0 नेबूलाल उम्र 34 वर्ष व अन्य तीन सहयोगी 2.गौरीशंकर गौड़ पुत्र स्व0 नेबूलाल उम्र 40 वर्ष 3.विपिन गौड़ पुत्र गौरीशंकर गौड़ उम्र 19 वर्ष 4.सीमा देवी पत्नी गौरीशंकर उम्र 38 वर्ष को विशुनपुर मुर्गी फार्म के बगल में मजार के पास से गिरफ्तार किया गया। मुख्य अभियुक्त लवेश की निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल रक्त रंजीत रायल स्टैग अंग्रेजी शराब के बोतल का टुकड़ा, 2.रायल स्टैग शराब का खाली डिब्बा 3.एक अदद प्लास्टिक की बोरी 4.घटना के वक्त अभियुक्त द्वारा पहने हुए खून लगे कपड़े की राख बरामद किया गया।

घटना का कारण वादी मुकदमा शिवकुमार विश्वकर्मा व अभियुक्तगणो के बीच रास्ते को लेकर 10 दिन पूर्व विवाद हुआ था। शिवकुमार के परिवार के लोग मुख्य अभियुक्त लवेश को शराबी कहकर खिल्ली उड़ा रहे थे। जिसका लवेश द्वारा मन ही मन मे रंजीश रखकर सबक सिखाने हेतु शिवकुमार के भतीजे आलोक को म्यूजिक सुनाने के बहाने अपने कमरे में ले गया और रात में गाँव की झाड़ी में ले जाकर अंग्रेजी शराब रायल स्टैग के बोतल के टुकड़े से गले पर वार कर हत्या कर अन्य अभियुक्तो के सहयोग से शव को छिपा दिया।

पंजीकृत किये गये अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 105/2021 धारा 363/302/201 भादवि0 थाना बाँसगाँव जनपद गोरखपुर

नाम पता अभियुक्तगण-

1. लवेश कहार पुत्र स्व० नेबूलाल
2. गौरीशंकर गौड़ पुत्र स्व० नेबूलाल
3. विपिन गौड़ पुत्र गौरीशंकर गौड़
4. सीमा देवी पत्नी गौरीशंकर

निवासीगण विशुनपुर थाना बाँसगाँव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का समय व स्थान-

दिनांक 08.05.2021 समय 12.45 बजे- गिरफ्तारी का स्थान – विशुनपुर मुर्गी फार्म के बगल से बरामदगी-

1. रक्त रंजीत रायल स्टैग अंग्रेजी शराब के बोतल का टुकड़ा
2. रायल स्टैग शराब का खाली डिब्बा (अभियुक्त के कमरे से)
3. एक अदद प्लास्टिक की बोरी
4. एक पोटली में जले हुए कपड़े की राख बरामद किया गया ।

गिरफ्तारी में शामिल टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह थाना बाँसगाँव जनपद गोरखपुर
2. उ०नि० रितेष सिंह
3. आरक्षी- पवन यादव
4. आरक्षी- मो० मुस्तफा
5. आरक्षी- धनेश कुमार
6. म०का०- अंकिता तिवारी
7. आरक्षी- संगम कुमार
8. आरक्षी- मो० सद्दाम
9. आरक्षी- धर्मेन्द्र कुमार